



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223363  
CG-DL-E-27112020-223363

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3740]  
No. 3740]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/अग्रहायण 5, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

**का. आ. 4244 (अ).**— भारत और दुनिया भर में कोविड -19 महामारी का प्रकोप विद्यमान है;

और, प्ररूप -10 में कई आयात अनुज्ञप्ति अस्तित्व में हैं और उनकी तीन साल की विधिमान्य अवधि शीघ्र ही समाप्त होने की संभावना है;

और, औषध कंपनियों और उसके संघों ने कोविड -19 महामारी के मद्देनजर आयात अनुज्ञप्ति (प्ररूप -10) की विधिमान्यता को छह मास के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है;

और, केन्द्रीय सरकार का विचार है कि औषधि की आपूर्ति प्रभावित नहीं हो और औषधि जनता के लिए उपलब्ध रहना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि बिक्री और वितरण हेतु औषधि के आयात के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 28 में किसी बात के होते हुए भी, यदि उक्त नियमों के अधीन एक विद्यमान वैध आयात अनुज्ञप्ति धारक, विद्यमान अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पहले एक नए आयात अनुज्ञप्ति के लिए एक आवेदन करता है, तो विद्यमान आयात अनुज्ञप्ति तब तक मान्य होगा जब तक कि आवेदन पर आदेश पारित नहीं किए जाते हैं और यह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य माना जाएगा।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा।

[फा.सं. एक्स.11014/01/2020-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
**(Department of Health and Family Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2020

**S.O. 4244(E).**—Whereas, an outbreak of COVID -19 pandemic is prevailing throughout India and worldwide;

And whereas, several import licences in Form-10 are in existence and their validity periods of three years are likely to expire shortly;

And whereas, pharmaceutical companies and their associations have requested for extension of the validity of import licence (Form-10) for six months in the wake of COVID-19 pandemic;

And whereas, the Central Government is of the considered view that supply of drugs may not get affected and the drugs must remain available to the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26B of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, hereby directs that notwithstanding anything contained in rule 28 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, for import of drugs for sale or distribution, if an existing valid import licence holder under the said rules, makes an application for a fresh import licence before the expiry of the existing licence, the existing import licence shall be valid until orders are passed on the application and shall be deemed to be valid for all purposes.

2. This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of six months.

[F.No. X.11014/01/2020-DR]

DR. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.